

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/37/2011-अ.भा.से.-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 7 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री ललितालक्ष्मी, भा.प्र. से. (तमिल नाडु : 08) को श्री सौरव पहाड़ी, भा.प्र.से. (पश्चिम बंगाल : 08) के साथ विवाह के आधार पर, तमिलनाडु संवर्ग से पश्चिम बंगाल संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।

(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)